

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

**भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना**

सं. 15/2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून, 2017

सा.का.नि. (अ),- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :-

1. (1) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के नियम 4 में, उप-नियम (7) में,-

(क) आठवें परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“बशर्ते और भी कि सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग के अधिकार को देकर प्रदान की गई सेवाओं के मामले में निर्धारित दिवस के तत्काल पूर्व दिवस को न ली गई सेनवेट क्रेडिट को उस तारीख को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।”;

(ख) स्पष्टीकरण III, के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

स्पष्टीकरण IV- “न ली गई सेनवेट क्रेडिट” से अभिप्राय उस राशि से है जो कि किसी सेवा के संबंध में पहले ली गई सेनवेट क्रेडिट की राशि को उस सेनवेट क्रेडिट की सकल राशि में से घटाने से प्राप्त होती है जिसके लिए ऐसी सेवा का प्राप्तकर्ता ऐसी सेवा के संबंध में हकदार था।

स्पष्टीकरण V- “निर्धारित दिवस” से अभिप्राय उस तारीख से है जिस तारीख से केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) लागू होगा।’

[फा.सं. 354/93/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- ये मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 600 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के तहत अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 को प्रकाशित किया गया था तथा अंतिम बार सा.का.नि. 372 (अ), दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. 10/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) के द्वारा संशोधन किया गया है।